राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

दिनांकः— 06/01/23

क्रमांकः— एफ.2 (क) (M—685) अलेसे—I/ 2201

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 68/2022—23 दिनांक 06.09.2022 के द्वारा श्री महावीर प्रसाद चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I का स्थानान्तरण कार्यालय उपकोषाधिकारी, रावतभाटा (चित्तौडगढ़) से कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रावतभाटा (चित्तौडगढ़) में किया गया था, तत्पश्चात् प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत विभागीय आदेश संख्या 93/2022—23 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा श्री महावीर प्रसाद चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I का पुनः स्थानान्तरण कार्यालय उपकोषाधिकारी, रावतभाटा (चित्तौडगढ़) से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय), उदयपुर में किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 21.10.2022 के विरूद्ध श्री महावीर प्रसाद चौधरी, स.ले.अ. ग्रेड—I द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील संख्या 18196/2022 दायर की गई है। उक्त अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2022 को निम्न आदेश पारित किया गयाः— "The petitioner is aggrieved of the order dated 21.10.2022, whereby he has been transferred from Rawatbhata, Chittorgarh to Udaipur.

Learned counsel for the petitioner submits that on the ground raised in the petition, the petitioner may be permitted to approach the respondents by way of an appropriate representation and the respondent-competent authority my be directed to decide the same appropriately and expenditiously.

In view of the submission made, the petition filed by the petitioner is disposed of.

In case, such a representation is made by the petitioner, the same shall be dealt with by the respondent-competent authority appropriately and expenditiously preferably within a period of two weeks from the date the representation is made by the petitoner with the respondent-competent authority."

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त आदेश के कम श्री चौधरी ने दिनांक 23.12.2022 को अपना अभ्यावेदन इस निदेशालय को प्रस्तुत किया। अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया गया। वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.2(21)वित्त/राजस्व/90 दिनांक 08.03.2017 के बिन्दु संख्या 01 के प्रावधानानुसार ''विशिष्ठ परिस्थितियॉ एवं राज्य हित में चार वर्ष से पूर्व भी राज्य सरकार की अनुमति से स्थानान्तरण किया जा सकेगा'' श्री चौधरी का स्थानान्तरण विभागीय आदेश संख्या 93/2022—23 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा सक्षम स्वीकृति के अनुसरण में प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत किया गया है।

इस प्रकार श्री महावीर प्रसाद चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I का पदस्थापन/ स्थानान्तरण कार्यालय उपकोषाधिकारी, रावतभाटा (चित्तौडगढ़) से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय), उदयपुर में राज्य हित में राज्य सरकार की सक्षम अनुमति प्राप्त कर प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत किया गया है। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 21.10.2022 को निरस्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2022 के कम में श्री चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

D:\SAS-I\Orders.docx7

क्रमांकः— एफ.2 (क) (M—685) अलेसे—I/ 2202-2209

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है — **दिनांकः—** 06/01/23

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष...
3. श्री महावीर प्रसाद चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I को पालनार्थ।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक— I)

D:\SAS-I\Orders.docx8